

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
79/2025

दायर दिनांक
08.05.2025

निर्णय दिनांक
22.05.2025

अनवान

1. गोवर्धन लाल पुत्र माधुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. छगनलाल पुत्र शम्भुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. नोसर पुत्री शम्भुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. प्रभुलाल पुत्र देवकिशन जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. भगवानी पुत्री शम्भुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. राजु पुत्र माधुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. रामा पुत्र कालू जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. लाली पुत्री शम्भुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. शंकरलाल पुत्र शम्भुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. श्यामूबाई पत्नी माधुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. सुन्दर पुत्री माधुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
12. सुमित्रा पुत्री माधुलाल जाति जाट जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
13. सोहनीबाई पत्नी शम्भुलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. पारसदेवी पत्नी चम्पालाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. रतनलाल पुत्र लालू जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. कमलेश पुत्र मदनलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. लोकेश पुत्र मदनलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. गंगादेवी पत्नी रतनलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. गुलागी पत्नी गोपी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. गेहरीलाल पुत्र गोपी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

Page | 1



Raj
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़

- चिंतौडगढ।
 गोपीलाल पुत्र गोपी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला
 चिंतौडगढ।
 श्रीमती पत्नी गोपी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला
 चिंतौडगढ।
 10. नारायण पुत्र कालू जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला
 चिंतौडगढ। (विलोपित)
 11. गेहरीलाल पुत्र छगू जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला
 चिंतौडगढ।
 12. नन्दुबाई पत्नी चतर्भुज जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला
 चिंतौडगढ।
 13. रामेश्वरलाल पुत्र चतर्भुज जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला
 चिंतौडगढ।
 14. शकरलाल पुत्र चतर्भुज जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला
 चिंतौडगढ।
 15. सोहनीबाई पुत्री चतर्भुज जाति जाट आयु वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील कपासन जिला
 चिंतौडगढ।

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री पवन शर्मा
 एकतरफा

अप्रार्थीगण
 प्रार्थीगण
 अप्रार्थीगण

--:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:-

--:: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा केसरखेडी पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन जिला चिंतौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 60 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1052, 193, 874, 878 कुल किता 04 कुल रकबा 0.88 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 22.05.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 से 9 व 11 से 15 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 10 के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चाहने बाबत आदेशिका पर अंकन कर हस्ताक्षर किये जाने से कार्यवाही ज़ॉप की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार हो कर इन्हें आराजियात जैर-बहस की नपती कर पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण

Page | 2



अधिवक्ता
 (उपखण्ड अधिकारी)
 कपासन जिला-चिंतौडगढ

